# अम्बिकापुर (छ.ग.)

फोन न 07774-240238, 240236 ई.मेल. dfosouthsurguja@gmail.com

चेक लिस्ट क. 32

प्रस्तावित क्षत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्ताववित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का वन विभाग का पत्र कमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 किलो मीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नही है।

बृजेश पटीरिया कार्यपालन अभियन्ता

तो.नि.वि.,राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) M

पंकज कमल (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर (छ.ग.)

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी ,सरगुजा वनमंडल

# अम्बिकापुर (छ.ग.)

फोन न 07774-240238, 240236 ई.मेल. <u>dfosouthsurguja@gmail.com</u>

चेक लिस्ट क. 33

# 15 कि.मी. की परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)

आवश्यकता नहीं है।

कार्यपालन अभियन्ता लो.नि.वि.,राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग

अम्बिकापुर (छ.ग.)

R

वनमंडलाधिकारी सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर (छ.ग.)

# कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,अम्बिकापुर (छ.ग.)

ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 34

## प्रमाण पत्र

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)

संलग्न है।

बुजेश पटोरिया कार्यपालन अभियन्ता लो.नि.वि.,राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

पंकज कमल (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर (छ.ग.)

#### **FORM-I**

# (for project other then linear projects) Government of Chhattisgarh Office of the District Collector Sarguja

\*\*\*\*\*

1382 No./Dated. 03/02/2022

#### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 ('FRA', for short ) on the forest land processed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified then 4.232 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Division Ambikapur for project Up-gradation/widening of NH 343 Ambikapur Ramunaganj Gadhwa Road (purpose for diversion of forest land) in Surguja District falls within jurisdiction of Mendra khurd, KishunNagar , Rajpuri khurd Village in Ambikapur Tehsil District Surguja

#### It is further certified that;

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.232 hectares of forest land proposed for diversion A copy of record of all consultation and meeting of the Forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (A). to (B)
- b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl: As above.

Collector
District- Sarguja (C.G.)

### कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,अम्बिकापुर (छ.ग.) ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 35

#### प्रमाण पत्र

## राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का पमाण पत्र

संलग्न है।

बृजेश पटोरिया कार्यपालन अभियन्ता

लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) p

पंकज कमल (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सरगुजा वन मण्डल अस्बिकापुर (छ.ग.) कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर को अम्बिकापुर-रामानुजगंज रा०रा०मार्ग कमांक 343 चौडीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु ग्राम मेन्ड्राखुर्द/किशुननगर/रजपुरीखुर्द जिला-सरगुजा वनमण्डल सरगुजा के मेन्ड्राखुर्द/किशुननगर/रजपुरीखुर्द गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु राजस्व भूगि खसरा कमांक 736/1, 615, 616, 781/1, 431/1, 16 रकबा 1.790 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा राजस्व वनभूमि 1.790 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम मेन्ड्राखुर्द/किशुननगर/रजपुरीखुर्द तहसील—अम्बिकापुर में स्थित है में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।
- 1.1 मेन्ड्राखुर्द ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 8—01—2022 (प्रदर्श—''अ'') तथा वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श—''ब'') पर दर्शित है।
- 1.2 **किशुननगर** ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 18—01—2022 (प्रदर्श—''अ'') तथा वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श—''ब'') पर दर्शित है।
- 1.3 रजपुरीखुर्द ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 28—01—2022 (प्रदर्श—''अ'') तथा वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श—''ब'') पर दर्शित है।
- 2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव (1) मेन्ड्राखुर्द ग्राम के श्री बुंदेलाराम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08-01-2022 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सिहत) (2) किशुननगर ग्राम के श्री श्री आशा की अध्यक्षता में दिनांक 28-12-2021 (3) रजपुरीखुर्द ग्राम के श्री दुधनाथ सिंह की अध्यक्षता एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनकों परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्ता वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की रांख्या ग्रामवार निम्नानसार है:

क्र0 गाम का जाए	J
ग्राम का नाम वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम रकबा (हे०मे०	, p
1 मेन्द्रायन रकबा (हे०मे०	))
र प्रापुर श्रान्य	/
र किशुननगर शन्य	
3 रजपरीखर्द शून्य	
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी उन्हें के कि	-

- 3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- 4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के उहराव प्रस्ताव दिनांक अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।



कगश 2.....

- संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 8—1—2022, 18—1—2022, 28—1—2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।
- वनभूमि व्यपर्वतन प्रस्ताव हेतु उपर्युक्त 1.770 हे. राजस्व वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि रकबा 2. 442 है0 के लिए अनापत्ति प्रदान की जाती है।

### तहसील-अम्बिकापूर

ग्राम का नाम	<u> </u>	ज्यान नंतर	agency management	6
	100010	असरा नवर	कुल स्कबा	प्रस्तावित रकबा
	02	736/1	7.459	1.366
		615	0.364	0.030
		616	0.384	0.141
		781/1	7.622	0.030
याग		4	15.829	1.567
मेन्ड्राखुर्द	02	PF2535	37.428	2.442
		01	37.428	2.442
किशुननगर	02	431/1	6.070	0.208
		1	6.070	0.208
रजपुरीखुर्द	05	16	0.026	0.015
		01	0.026	0.015
महायोग सरंक्षित वन भूमि		01		2.442
महायोग राजस्व वन भूमि		06	59.353	1.790
	योग मेन्ड्राखुर्द किशुननगर रजपुरीखुर्द सरंक्षित वन भूमि	मेन्ड्राखुर्द 02  योग  मेन्ड्राखुर्द 02  किशुननगर 02  रजपुरीखुर्द 05	मेन्ड्राखुर्द 02 736/1 615 616 781/1 योग 4 मेन्ड्राखुर्द 02 PF2535 01 किशुननगर 02 431/1 रजपुरीखुर्द 05 16 01 सरंक्षित वन भूमि 01	भेन्द्राखुर्द 02

संलग्न:- उपरोक्तानुसार जावक क0 1382 अम्बिकापुर

दिनांक - 03/02/2022

(संजीव कुमार झा) कलेक्टर एवं अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति

**9** जिला–सरगुजा

#### FORM = 1

# (For Linear project) Government of Chhattisgarh Office of the District Collector Surajpur

No. 61) Reason / 2012

Dated - 10.01.2022

## To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 5.637 hectares of protected forest land to be diverted in favour of National Highway Division Ambikapur for project Up-gradation/Widening of NH 343 Ambikapur Ramanujganj Gadhwa Road (Purpose for diversion of forest land) in Surajpur district falls within Jurisdiction of Sanjaynagar village(s) in Latori tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>5.637</u> hectares of forest land prosposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub division level committee (s) are enclosed as annexure <u>01</u> to annexure <u>04</u>.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Trible Groups and Pre-agricultural Communities.

Encl: As above.

(Dr. Gourav Kumar Singh)
COLLECTOR

DIST. - SURAJPUR